न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 66/2021 तारीख दायर :–06.10.2021 दिनांक निर्णय :–27.10.2021

निर्णय

2021/119

पटवारी हल्का नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1.कजोड़ पुत्र पून्या जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर

2.छोटेलाल पुत्र पून्या जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नयागाव बोलका द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपो इस आश्य की पेश की गई कि गैरसायलान कजोड, छोटेलाल पुत्रान पून्या जाति मीना निवा नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा ग्राम नयागाव बोलका के आ0ख0न0 रकबा 1.0 हे0 6 रकबा 1.0 हे0, 12 रकबा 0.25 हे0 तथा 21 रकबा 1.0 किस्म चाराग बारानी–3 भूमि पर सम्वत् 2078 के फसल खरीफ में जोत लगाकर अतिक्रमण कर लिया है।

प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस किया जाकर गैरसायलान को जर्ये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से नि तारीख पेशी पर छोटेलाल पुत्र पून्या जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राज जिला अलवर द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें जवाब प्रस्तुत निवेदन किया गया कि पूर्व में दिनांक 12.12.2001 को तत्कालीन तहसीलदार राजगढ ह खसरा नम्बर 4/2.30, 5/0.20, 6/0.75, 11/1.00, 12/0.62, 31/0.76, 21/2.15 भूमि नियमन करने की सिफारिस उपखण्ड़ अधिकारी महोदय, राजगढ़ को भेजी गई थी। जिस पत्रावली वर्तमान में जिला कार्यालय अलवर में विचाराधीन होना बताया गया है। पूर्व में गई पत्रावली की ऑर्डर सीट की छायाप्रति शामिल फाईल की गई। परन्तु मुताबिक पी- वर्तमान में कई वर्षों से अतिक्रमी का अतिक्रमण दर्ज होना नही पाया जाता है। अत गैरसाय अतिक्रमी है। गैरसायलान के विरूद्ध राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सरह लगान 13 रूपये का 50 गुणा राशि 650/– रूपये शास्ति आरोपित की जाती तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा को राजस्व लेखों में मांग कायमी एवं गिर थानाराजाजी/पटवारी हल्का नयागॉव बोलका को वसूली व बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्र फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो, बाद तकमील लेख भण्ड़ार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेंरें द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायाल सुनवाया गया।

2021-22